अध्याय 3: नीति तथा विनियम

उपयुक्त अधिनियमों, नियमावली, कानूनों एवं दिशानिर्देशों की उपलब्धता तथा उनकी समकालीन प्रासंगिकता स्मारकों तथा पुरावशेषों के प्रतिरक्षण तथा संरक्षण हेतु एक पूर्वापेक्षा है। इस अध्याय में, नीति तथा विनियमों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई है।

3.1 अधिनियमों, नियमावली तथा कानूनों का निरूपण तथा अद्यतनीकरण

स्मारकों तथा पुरावशेषों के प्रतिरक्षण तथा संरक्षण हेतु उपलब्ध विभिन्न अधिनियमों, नियमावली तथा अन्य कानूनों पर अभ्युक्तियों, जिनकी पिछले प्रतिवेदन में चर्चा की गई थी, की पीएसी द्वारा समीक्षा की गई थी। पीएसी ने नए अधिनियम/नियमावली के सामयिक निरूपण अथवा मौजूदा के अद्यतनीकरण को निर्धारित करते हुए कई सिफारिशें की थी। यह पाया गया था कि मंत्रालय/एएसआई ने इन अधिकांश नीति संबंधित सिफारिशों पर अपेक्षित स्तर तक कार्रवाई नहीं की थी जिसकी नीचे चर्चा की गई है:

ए. राष्ट्रीय संरक्षण नीति

प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों के सरंक्षण की राष्ट्रीय नीति को फरवरी 2014 में अधिसूचित किया गया था। *पीएसी ने स्मारकों तथा उनके संरक्षण गतिविधियों की अधिसूचना तथा अधिसूचना को रद्द करने को कारगर बनाने के लिए इनके तहत नियमावली को भी अधिसूचित करने हेतु मंत्रालय को सिफारिश की थी।* इस संबंध में, मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया था कि स्मारकों की अधिसूचना तथा अधिसूचना रद्द करने पर दिशानिर्देश तैयार कर लिए गए हैं तथा जनता के मतों हेतु वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तथापि, अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, ऐसा कोई दस्तावेज/नियम एएसआई द्वारा तैयार तथा अधिसूचित नहीं पाया गया था।

मंत्रालय/एएसआई ने उत्तर में सूचित किया (जनवरी/फरवरी 2022) कि स्मारकों की अधिसूचना तथा अधिसूचना रद्द करने पर दिशानिर्देशों को संरक्षण नीति के अंतर्गत

जारी नहीं किया जाना था। यह एएमएएसआर अधिनियम 1958 के अधीन नियमावली का भाग था जिसके लिए एक समिति को अंतिम रूप दिया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जवाब मंत्रालय की पूर्व प्रतिक्रिया के विपरीत था जैसाकि पीएसी द्वारा परिकल्पित सिफारिश किए गए नियमों को अभी तक जनवरी 2022 तक अंतिम रूप तथा अधिसूचित नहीं किए गया था।

बी. पुरातात्विक उत्खनन तथा अन्वेषणों पर राष्ट्रीय नीति

पुरातात्विक उत्खनन तथा अन्वेषण पर राष्ट्रीय नीति को माननीय संस्कृति मंत्री द्वारा मार्च 2015 में अनुमोदित किया गया था। *पीएसी ने मंत्रालय को उत्खनन तथा अन्वेषणो हेतु नीति की अंतिम अधिसूचना को शीघ्र पूरा करने को कहा था जिससे कि इन गतिविधियों हेतु चिन्हित लोक संसाधनों को उपयुक्त रूप से सुव्यवस्थित तथा केन्द्रित बनाया जा सके।* अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि उत्खनन तथा अन्वेषण नीति तैयार नहीं की गई थी।

मंत्रालय/एएसआई ने उत्तर में बताया (जनवरी 2022) कि कथित नीति को अधिसूचित करते समय, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु बैंचमार्क होने से नीति से संबंधित कुछ अभ्युक्तियां नीति आयोग सहित महत्वपूर्ण हितधारकों द्वारा एएसआई को सूचित की गई थी। इसलिए, उक्त नीति को अधिक व्थापक बनाने के लिए समीक्षाधीन थी जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व अधिसूचित कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नीति आयोग ने एएसआई को बदलते परिदृश्य, प्रौद्योगिकी की उन्नति को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज के पुनर्निरक्षण तथा अद्यतन करने को कहा था (मई 2020) जिसे मूल रूप से 2009 में तैयार किया गया था। इस संबंध में, एएसआई ने सूचित (दिसंबर 2020 तथा दिसंबर 2021) किया कि यह कार्य प्रक्रियाधीन था। इस प्रकार, पुरातात्विक अन्वेषण तथा उत्खनन पर राष्ट्रीय नीति के अद्यतनीकरण तथा अंतिम रूप देने/अधिसूचना में काफी विलम्ब हुआ।

सी. पुरावशेष एवं कला खज़ाना (एएटी) अधिनियम

पीएसी चिंतित थी कि एएटी अधिनियम, जो 1997 में शुरू हुआ था, का संशोधन करने की प्रक्रिया दो दशकों के बीत जाने के पश्चात भी लंबित थी। यह चाहती थी कि मंत्रालय संबंधित अधिनियम में संशोधन को शीघ्र पूरा करे। इस संबंध में

मंत्रालय ने पीएसी को सूचित किया था कि अधिनियम को सरल, कार्यान्वयन योग्य तथा प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त संशोधन का सुझाव देने अथवा एक नया प्रारूप तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। बाद में, एएसआई ने एटीएन के माध्यम से सूचित किया (अगस्त 2017) कि एएटी अधिनियम, 1972 के स्थान पर दो नए अधिनियमों अर्थात् पुरावेशष एवं कला खजाना (निर्यात एवं आयात नियंत्रण) अधिनियम तथा पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था तथा विचार हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था। तथापि, विधि मंत्रालय की अनुशंसा के पश्चात यह दो अधिनियमों को शामिल करते हुए एक संशोधित अधिनियम तैयार करेगा।

अधिनियम पर प्रगति का उत्तर देते समय एएसआई ने स्पष्ट किया (दिसंबर 2020 तथा दिसंबर 2021) कि यह कार्य एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी जिसमें सतर्क चर्चाओं तथा विचार-विमर्श की आवश्यकता होती है। एएसआई ने तथ्यों को स्वीकार करते समय आगे बताया (जनवरी 2022) कि वह एएटी अधिनियम, 1972 के तहत किए जाने वाले संशोधनों पर मंत्रालय की सलाह से कार्य कर रहा था। उसने यह भी प्रस्तुत किया कि कार्य का वर्ष 2022 में पूर्ण होना संभावित था। तथ्य है कि पीएसी के अनुदेश के बावजूद कार्य 1997 से अभी तक चल रहा था।

डी. प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम

पीएसी ने मंत्रालय को एएमएएसआर अधिनियम में अनिवार्य संशोधन करने तथा बिना-टिकट वाले स्मारकों में आगंतुकों की संख्या दर्ज करने की एक प्रणाली स्थापित करने तथा स्मारकों के वर्गीकरण के मामले में विलम्ब का समाधान करने को कहा था। यह देखा गया था कि एएमएएसआर अधिनियम में अनिवार्य संशोधन नहीं किया गया था तथा स्मारकों के वर्गीकरण का मामला लंबित था (पैरा 6.2.1 का संदर्भ लें)। इसके अतिरिक्त, बिना टिकट वाले स्मारकों में दर्शकों की संख्या दर्ज करने की अभी भी कोई प्रणाली नहीं थी (*पैरा 5.3.1 का संदर्भ लें*)।

मंत्रालय/एएसआई ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में प्रस्तुत किया कि एएमएएसआर अधिनियम, 1958 का संशोधन का बिल जनवरी 2018 में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। लोक सभा ने 02 जनवरी 2018 में बिल पारित किया परंतु राज्य

सभा ने कथित बिल को प्रवर समिति को भेजा। कई विचार-विमर्शों के पश्चात, प्रवर समिति द्वारा बिल की सिफारिश की गई थी। हालांकि कथित बिल संसद के विघटन के कारण व्यपगत हो गया था। यह सूचित किया गया कि वर्तमान में संशोधन के अंतिम विवरण तैयार किए जा रहे थे।

ई. पुरातात्विक संग्रहालयों तथा पुरावशेषों के प्रबंधन की एकसमान प्रक्रिया

पीएसी ने पाया था कि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन स्मारकों में पुरावशेषों के प्रबंधन अर्थात् अधिग्रहण, परिग्रहण, अभिरक्षा, आवर्तन, आदि से संबंधित मामलों का निपटान करने तथा एएसआई के अधीन स्थल-संग्रहालयों हेतु भी व्यापक नीति दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं थे। मंत्रालय ने पीएसी को इसके द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों के संबंध में सूचित किया था:

- *कला वस्तुओं के अधिग्रहण हेतु एकसमान नीति तैयार करना तथा अंतिम रूप देना;*
- *एकसमान सुरक्षा नीति तैयार करने हेतु समिति का गठन; तथा*
- *प्रक्रियाओं की मानक नियम पुस्तिका तैयार करने हेतु समिति का गठन।*

पीएसी का मत था कि संस्कृति की कलाकृतियां तथा सांस्कृतिक उत्खनन किसी भी राष्ट्र का प्राचीन सांस्कृतिक गौरव है तथा इसलिए उसने सिफारिश की कि मंत्रालय सभी संग्रहालयों हेतु एक एकसमान प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को शीघ्र पूरा करें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय/एएसआई के नियंत्रणाधीन संग्रहालयों हेतु कोई एकसमान प्रक्रिया, जिसमें सभी मामले शामिल हो जैसी पीएसी द्वारा सिफारिश की गई थी, उपलब्ध नहीं थी। एएसआई ने प्रारम्भ में बताया (मार्च 2021) कि ऐसे दस्तावेज की तैयारी, संशोधन तथा अनुपालन मंत्रालय के निर्देशों पर आधारित होगा। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय से ऐसा कोई दस्तावेज/निर्देश उपलब्ध नहीं था। एएसआई ने आगे बताया (जनवरी 2022) कि इसके स्थल-संग्रहालय अन्य राष्ट्र स्तरीय संग्रहालयों से अलग थे तथा इसलिए उनकी अधिग्रहण नीति एएसआई के अधीन संग्रहालयों के लिए उपयुक्त नहीं होगी। उत्तर केवल एएसआई के स्थल-संग्रहालयों हेतु एक व्यापक नीति की आवश्यकता को दर्शाता है।

ई.1 एएसआई के अधीन स्थल-संग्रहालयों हेतु दिशानिर्देश

एएसआई ने, *स्थल-संग्रहालयों हेतु दिशानिर्देशों के अभाव के संबंध में पीएसी की टिप्पणी* के उत्तर में सूचित किया (नवम्बर 2020) कि इसके द्वारा 2013 में तैयार एएसआई संग्रहालयों हेतु दिशानिर्देश का अनुपालन किया जा रहा था। एएसआई ने आगे सूचित किया (मार्च 2021) कि परिग्रहण पंजी, आवर्तन, आदि जैसे मामलों को मंत्रालय द्वारा 14 अंक संग्रहालय सुधारों (2009 में जारी) में शामिल किया गया है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एएसआई का दिशानिर्देश पुरावशेषों के प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों का निपटान करने हेतु एक व्यापक दस्तावेज नहीं था। उत्तर तर्कसंगत भी नहीं थे क्योंकि दोनों दस्तावेज अर्थात् एएसआई संग्रहालयों हेतु दिशानिर्देश तथा 14 अंक संग्रहालय सुधार पीएसी की बैठक के समय उपलब्ध थे। पीएसी ने, सिफारिश करते समय (2016 में), इन दस्तावेजों पर ध्यान दिया होगा। इस प्रकार, उत्तर पुरावशेषों के प्रबंधन हेतु एक एकल व्यापक दस्तावेज की आवश्यकता के संबंध में पीएसी के तर्क को अनदेखा करता है जिसे प्रारम्भ में अनुपालना हेतु मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया था।

जनवरी 2022 में, मंत्रालय/एएसआई ने अपने पहले के उत्तर को दोहराते समय बताया कि 2013 में तैयार दिशानिर्देश तथा 14 अंकीय संग्रहालय सुधार इसके स्थल-संग्रहालयों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तथापि, पीएसी की अभ्युक्तियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

3.2 विरासत उप-नियम (एचबीएल) तथा स्थल-योजना तैयार करना

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) का, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों (सीपीएम) के आसपास निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु एएमएएसआर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के तहत एक सांविधिक निकाय (2011) के रूप में स्थापना की गई थी। इसका मूल उद्देश्य विरासत उप-नियम (एचबीएल) के माध्यम से सीपीएम के प्रतिबंधित तथा नियंत्रित क्षेत्रों के सांविधिक प्रावधानों का कार्यान्वयन था। एनएमए को केन्द्र सरकार[6] द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारियों के

[6] 32 सक्षम प्राधिकरणों को सरकार द्वारा फरवरी 2014 में अधिसूचित किया गया था।

माध्यम से अपनी शक्तियों (अर्थात् सीपीएम के प्रतिबंधित/नियंत्रित क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करना) का प्रयोग तथा निर्वाहन करना था। अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि कुछ अनिवार्य गतिविधियों के संबंध में एनएमए की प्रगति धीमी थी। इन मामलों पर आगे पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

3.2.1 स्थल-योजना तैयार करना: विरासत उप-नियम को प्रत्येक संरक्षित स्मारक के प्रतिबंधित तथा नियंत्रित क्षेत्रों हेतु स्थल-योजना के आधार पर तैयार किया जाना पाया गया था। एएमएएसआर नियमावली 2011 के अनुसार, पांच वर्षों की अवधि के भीतर महानिदेशक, एएसआई को विस्तृत स्थल-योजना तैयार करने के उद्देश्य हेतु प्रयास करना था। तथापि, 2018 में जारी अन्य अधिसूचना में, इस अवधि को दस वर्षों (2021 तक) के लिए बढ़ा दिया गया था। परिणामस्वरूप, स्थल-योजनाओं को तैयार करने तथा एचबीएल को अंतिम रूप देने में भी विलम्ब हुआ था। एनएमए ने सूचित किया कि 600 स्मारकों की सर्वेक्षण योजना तैयार की गई थी। इस संबंध में एएसआई ने सूचित किया (फरवरी 2022) कि कार्य को आउटसोर्स किया जा रहा था फिर भी जटिल मैदान स्थितियों, स्मारकों के विस्तार तथा स्मारक के आकार, आदि ने प्रक्रिया में विलम्ब किया। तथ्य है कि सभी स्मारकों हेतु एचबीएल तैयार करने में विलम्ब हुआ था।

3.2.2 एचबीएल तैयार करना: एएमएएसआर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के तहत एनएमए को स्मारक-विशिष्ट एचबीएल को अधिसूचित करना था। इस संबंध में, एएसआई के पांच क्षेत्रीय निदेशकों की एनएमए के अनुमोदन हेतु ड्राफ्ट एचबीएल तैयार करने के लिए पहचान (फरवरी 2014) की गई थी। तथापि अब तक (जनवरी 2022) केवल पांच एचबीएल, जिसमें 31 संरक्षित स्मारक शामिल हैं, को अधिसूचित किया गया है जबकि 165 एचबीएल, जिसमें 210 स्मारक शामिल है, को अंतिम रूप[7] दिए जाने के विभिन्न चरणों पर होना सूचित किया गया था।

[7] दो एचबीएल, जिसमें 2 सीपीएम शामिल हैं, को संसद में प्रस्तुत करने हेतु मंत्रालय को भेजा गया था (सितंबर 2020 में), 103 एचबीएल, जिसमें 128 स्मारक शामिल हैं, परामर्श अधीन थे तथा 60 एचबीएल, जिसमें 80 सीपीएम शामिल हैं, को सुझाव हेतु वेबसाईट पर अपलोड किया गया था।

3.2.3 एचबीएल तैयार करने में प्राथमिकता: निर्माण संबंधी गतिविधियों हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर 3693 सीपीएम में से 230 की एचबीएल तैयार करने हेतु अधिक प्राथमिकता वाले होने के रूप में पहचान की थी। तथापि, जैसा एनएमए द्वारा सूचित किया गया (दिसंबर 2020) कि अधिसूचित/प्रक्रियाधीन कुल स्मारकों में से अब तक केवल सात अधिक प्राथमिकता वाले स्मारकों की सूची से संबंधित थे।

3.2.4 बड़ी परियोजनाओं हेतु दिशानिर्देश तैयार करना: एनएमए को बड़े पैमाने की विकास परियोजनाओं के पुरातात्विक प्रभाव निर्धारण हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी करनी थे। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण को सांस्कृतिक परिदृश्य, जो अतीत में निर्माण अथवा समान गतिविधियों के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे, की मरम्मत हेतु सिफारिशें करनी थी। बड़ी परियोजनाओं हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के संदर्भ में एनएमए ने सूचित किया (नवम्बर 2020) कि 2000 वर्ग मी. तथा अधिक के कुल निर्मित क्षेत्र वाले आवेदनों के लिए निर्धारित प्रपत्र में अतिरिक्त सूचना प्राप्त की जा रही थी, जबकि 5000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र वाले मामलों के लिए पुरातात्विक प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट प्राप्त की जा रहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एचबीएल तैयार करते समय स्मारकों के सांस्कृतिक परिदृश्य पहलू को ध्यान में रखा गया था तथा इसलिए सीपीएम के लिए ऐसे संबंधित परिदृश्य मरम्मत कार्य नहीं किए जा रहे थे। लेखापरीक्षा का तर्क है कि दिशानिर्देशों के अभाव तथा कुछ एचबीएल तैयार करने/अधिसूचना में निर्माण संबंधित गतिविधियों हेतु आवेदनों को संसाधित करने की प्रक्रिया तदर्थ आधार पर थी।

एनएमए ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि एचबीएल तैयार करने का दायित्व प्राथमिक रूप से एएसआई पर है जिसे इसके अधिकारियों अर्थात् एएसआई में सर्किल तथा क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा सर्वेक्षणों तथा स्थल-योजनाओं के आधार पर तैयार किया जाना था। एनएमए की भूमिका इन्हें अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की थी। तथ्य है कि एचबीएल तथा स्थल-योजनाएं तैयार करने में काफी विलम्ब रहा है। परिणामस्वरूप, सीपीएम के वर्जित/नियंत्रित क्षेत्रों में निर्माण से संबंधित गतिविधियों की अनुमति आवेदनों को,

एनएमए नियमावली में प्रदत्त असाधारण आधारों[8] के अधीन अनुरोध के रूप में मान कर प्रदान किया जा रहा था।

हुमायूँ का मकबरा परिसर के वर्जित क्षेत्र में निर्माण गतिविधियाँ

एएमएएसआर अधिनियम का, एनएमए की स्थापना को प्रारम्भ करके तथा स्मारकों[9] के वर्जित/नियंत्रित क्षेत्र में नवीकरण तथा निर्माण संबंधित गतिविधियों की अनुमति प्रदान करने में इसकी भूमिका को परिभाषित करते हुए 2010 में संशोधन किया गया था। संशोधित अधिनियम के पैरा 20 सी के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी बिल्डिंग अथवा संरचना, जो स्मारक के वर्जित क्षेत्र में मौजूद हो, का मालिक है ऐसी मरम्मत या नवीकरण करने जैसा भी मामला हो, के लिए एक आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, पैरा 20ए के अनुसार, एक पुरातत्व अधिकारी के सिवाय कोई भी व्यक्ति इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किसी भी वर्जित क्षेत्र में कोई भी निर्माण नहीं करेगा किः

(ए) ऐसे सार्वजनिक कार्य या परियोजना निष्पादित करना अनिवार्य अथवा लाभकारी है जो जनता के लिए अनिवार्य है।

(बी) अन्य कोई कार्य अथवा परियोजना जिसका इसके विचार से स्मारक या इसके निकटतम परिवेश में संरक्षण, सुरक्षा, रक्षा या पहुंच पर कोई भारी प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

भौतिक निरीक्षण (जनवरी 2021) के दौरान, यह पाया गया था कि आधुनिक संरचनाओं अर्थात् दुकानों का निर्माण, परिदृश्य, अंडरपास, संरक्षण आदि के सृजन की एक परियोजना एएसआई से अलग अभिकरण द्वारा हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली के वर्जित क्षेत्र में निष्पादित की जा रही थी।

[8] एनएमए नियमावली, 2011 के नियम 15 के तहत, असाधारण मामलों में, विरासत उप-नियमों को अंतिम रूप दिया जाना लंबित हो, निर्माण संबंधित गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

[9] एएमएएसआर नियमावली 1959 के नियम 31 के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा जून 1992 में जारी अधिसूचना के अनुसार, एएसआई ने स्मारक की संरक्षित सीमाओं से 100 मीटर तक के क्षेत्र तथा आगे 200 मीटर को क्रमशः वर्जित तथा नियंत्रित क्षेत्र होने की घोषणा की थी। वर्जित तथा निंयत्रित क्षेत्र की धारणा को एएमएएसआर अधिनियम, 2010 में संशोधन से आगे ओर विस्तार से बताया गया है।

एएसआई ने अपने उत्तर (अगस्त 2021) में सूचित किया कि वह जुलाई 2007 (बाद में दिसंबर 2017 में विस्तार किया गया) में किए गए एक बुह-अभिकरण एमओयू[10] के माध्यम से शामिल था। एमओयू के अनुसार, संरक्षण गतिविधियाँ (स्थल संग्रहालय तथा व्याख्या केन्द्र की स्थापना सहित), ट्रस्ट[11] (निष्पादन अभिकरण) को सीपीडब्ल्यूडी के परामर्श से विभिन्न शहरी विकास गतिविधियाँ (दुकानों तथा रेस्टोरेटं के निर्माण सहित) करनी थी।

लेखापरीक्षा ने इंगित किया (जून 2021) कि हस्तक्षेप, स्मारक के दर्शकों हेतु सुविधाओं (अर्थात् शौचालय, जल, पार्किंग आदि) का सृजन नहीं थे तथा स्मारक के वर्जित क्षेत्रों में अन्य अभिकरण द्वारा वाणिज्यिक निर्माण (अर्थात् दुकाने) को अनुमत करके एएसआई ने एएमएएसआर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त केवल अभिकरण द्वारा निर्माण किए जाने वाले व्याख्या केन्द्र का स्वामित्व एएसआई के पास रहना था।

एएसआई ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2021) कि एएमएएसआर अधिनियम (धारा 20ए (3)) ने एक सीपीएम के वर्जित/नियंत्रित क्षेत्र में सुख सुविधाओं के निर्माण हेतु इसे प्राधिकृत किया तथा एएसआई द्वारा आगा खान ट्रस्ट (निजी दल) के माध्यम से निर्माण किए गए व्याख्या केन्द्र, स्मृति चिन्ह की दुकाने, अंडरपास आदि का सृजन विश्व विरासत स्थलों पर दर्शन हेतु आने वाले पर्यटकों के लिए अनिवार्य सुख सुविधाएं थी। उसने यह भी सूचित किया कि व्याख्या केन्द्र के निर्माण के संबंध में इसके द्वारा एनएमए से अनिवार्य अनुमोदन नवम्बर 2014 में प्राप्त कर लिया गया था। एएसआई ने अनुवर्ती प्रतिवेदन के प्रति अपने पहले के उत्तर को दोहराते हुए बताया (जनवरी 2022) कि एमओयू सरकार के उचित

[10] 2007 मे, एएसआई, सीपीडब्ल्यूडी, एमसीडी (सार्वजनिक दलों के रूप में) तथा आगा खांन सांस्कृतिक ट्रस्ट (एकेटीसी), आगाखान प्रतिष्ठान इंडिया (एकेएफआई) (निजी दल के रूप में) के बीच एमओयू किया गया था। पहल के तीन संघटक अर्थात(1) विरासत सरंक्षण (2) सामाजिक आर्थिक पहल तथा (3) पर्यावरणीय विकास थे। 2017 में एमओयू की अवधि को बढ़ाते समय सीपीडब्ल्यूडी, एएसआई, एसडीएमसी, एकेएफआई तथा एकेटीसी द्वारा एक ट्रस्ट डीड़ किया गया था।

[11] एमओयू के अनुसार, ट्रस्ट अर्थात् सरकारी सुंदर नर्सरी प्रबंधन ट्रस्ट का गठन किया गया था।

अनुमोदन के पश्चात किया गया था।

एएसआई का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एनएमए ने लेखापरीक्षा को सूचित[12] किया था कि उन्हें हुमायूं का मकबरा परिसर के वर्जित क्षेत्र के भीतर संग्रहालय तथा शॉपिग कॉम्प्लैक्स के विकास हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। दिसंबर 2017 में एमओयू को बढ़ाने के दौरान भी यह मामला एनएमए के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

एमओयू करके तथा एनएमए के अनुमोदन के बिना, निर्माण कार्य करने के लिए ट्रस्ट को अनुमति देते हुए एएसआई ने एएमएएसआर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था।

निष्कर्ष:

- *पीएसी द्वारा दिए गए सुझाव प्रभावी विरासत प्रबंधन हेतु अनिवार्य थे। तथापि, अधिकतर मामलों में, पीएसी द्वारा चर्चा किए गए नीति संबंधी विचारणीय विषयों पर अनिवार्य संशोधन/अधिसूचना करने का कार्य अभी भी प्रक्रिया में था।*
- *2011 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) के गठन के बावजूद स्मारक के वर्जित/नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु विरासत उप-नियमों को तैयार करने में विलम्ब था।*

[12] पत्र सं.9-1/2020-एनएमए (प्रशा.) दिनांक 24 मार्च 2021 के माध्यम से

मानव संसाधन प्रबंधन

अजंता गुफाएं (महाराष्ट्र)